

अनुग्रह सहायता योजना

क्र.	विभाग	योजना का नाम	अपंग/मृत्यु की दशा	सहायता राशि
1	श्रम विभाग	म.प्र. भवन निर्माण एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक मंडल	1. दुर्घटना में स्थायी अपंगता पर	रु. 2,00,000/-
			2. सामान्य मृत्यु पर (i) निर्माण श्रमिक की आयु 45 वर्ष या कम होने पर (ii) निर्माण श्रमिक की आयु 45 वर्ष अधिक होने पर	रु. 2,00,000/-
				रु. 1,00,000/-
			1. दुर्घटना में मृत्यु पर	रु. 4,00,000/-
			2. स्थायी अपंगता पर	रु. 2,00,000/-
			3. सामान्य मृत्यु पर	रु. 2,00,000/-
			4. दुर्घटना में मृत्यु पर	रु. 4,00,000/-
2	किसान कल्याण (मंडी बोर्ड)	मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2018	1. आंशिक स्थायी अपंगता पर	रु. 7,500/-
			2. स्थायी अपंगता पर	रु. 25,000/-
			3. दुर्घटना में मृत्यु पर	रु. 4,00,000/-
3	किसान कल्याण (मंडीबोर्ड)	मुख्यमंत्री मंडी हम्माल म.प्र.हम्माल एवं तुलावटी कल्याण योजना (आम आदमी बीमा योजना)	1. दुर्घटना में दो अंग नष्ट होने पर	रु. 75,000/-
			2. दुर्घटना में एक अंग नष्ट होने पर	रु. 37,500/-
			3. सामान्य मृत्यु पर	रु. 30,000/-
			4. दुर्घटना में मृत्यु पर	रु. 75,000/-

4	सामाजिक न्याय	मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना (आम आदमी बीमा योजना)	1. दुर्घटना में दो अंग नष्ट होने पर	रु. 75,000/-
			2. दुर्घटना में एक अंग नष्ट होने पर	रु. 37,500/-
			3. सामान्य मृत्यु पर	रु. 30,000/-
			4. दुर्घटना में मृत्यु पर	रु. 75,000/-
5	राजस्व विभाग	RBC 6-4 के अन्तर्गत	1. दुर्घटना में दो अंग नष्ट होने पर	रु. 4,00,000/-
			2. प्राकृतिक आपदा के कारण 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत विकलांगता होने पर	रु. 59,100/-
			3. प्राकृतिक आपदा के कारण 60 प्रतिशत से अधिक विकलांगता होने पर	रु. 2,00,000/-
			4. नाव दुर्घटना से घायल हो जाने पर अथवा बस या अधिकृत अन्य पब्लिक ट्रान्सपोर्ट के नदी या जलाशय में किरने या पहाड़ी आदि से खड्डे में किरने पर इन वाहनों में सवार व्क्तियों को हाथ, पैर या दोनों आँखों जैसे महत्वपूर्ण अंग की हानि होन पर	रु. 25,000/-
6	वन विभाग	जन कल्याणकारी योजना	1. जन-हानि (मृत्यु) वन्य प्राणी (सांप, गुहेरा, जहरीले जन्तु को छोड कर) द्वारा हुई हो	रु. 4,00,000/-
			2. स्थायी अपंगता पर	रु. 2,00,000/-
7		मुख्यमंत्री तैदूपत्ता	1. आंशिक अपंगता पर	रु. 20,000/-

		संग्रहक कल्याण योजना	2. स्थायी अपंगता पर	रु. 50,000/-
			3. सामान्य मृत्यु पर	रु. 10,000/-
			4. दुर्घटना में मृत्यु पर	रु. 2,00,000/-
8	गृह विभाग	सम्प्रदायिक दंगों में प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को अनुग्रह सहायता	1. स्थायी असमर्थ	रु. 2,00,000/-
			2. अस्थायी असमर्थ	रु. 59,100/-
			3. साधारण घायल पर	रु. 25,000/-
			4. मृत्यु पर	रु. 4,00,000/-
9	ऊर्जा विभाग	दुर्घटनावश विद्युत करंट लगने पर आर्थिक सहायता	1. दुर्घटना में मृत्यु पर	रु. 4,00,000/-
			2. 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत विकलांगता होने पर	रु. 59,100/-
			3. 60 प्रतिशत से अधिक विकलांगता होने पर	रु. 2,00,000/-

10.1 अनुसूची में क्रमांक 4 से क्रमांक 9 तक की योजनाएं वर्तमान योजना में समाहित की जाती हैं।